भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
**राज्य सभा**
मौखिक प्रश्न सं. 24
गुरूवार, 3 फरवरी, 2022/14 माघ, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

**पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाना**

**24. श्री टी.जी. वेंकटेशः**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि देश में पर्यटन क्षेत्र कोविड-19 और उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिससे पर्यटन क्षेत्र को अत्याधिक नुकसान उठाना पड़ा;

(ख) क्या सरकार को पर्यटन क्षेत्र को तेजी से पुनर्जीवित करने के लिए इसे औधोगिक दर्जा दिए जाने की मांग करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या रूख है; और

(घ) देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिये जाने के संबंध में दिनांक 03.02.2022 के राज्य सभा मौखिक प्रश्न सं. 24 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

(क) : पर्यटन क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने "भारत तथा कोरोना वायरस महामारी : पर्यटन से जुड़े परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान और बहाली के लिए नीतियां" विषय पर अध्ययन करवाया था । इस अध्ययन के अनुसार पर्यटन उद्योग पर कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप हुए लॉकडाउनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा ।

(ख) और (ग) : पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा दिए जाने सहित पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है । गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और केरल जैसे राज्यों ने आतिथ्य परियोजनाओं को उद्योग मानकर निवेश सबसिडी तथा अन्य उपायों का लाभ प्रदान करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आतिथ्य परियोजनाओं में नए निवेशों और पावर टैरिफ, वॉटर टैरिफ पर पूंजीगत सबसिडी तथा औद्योगिक दरों पर संपर्तति कर के प्रावधान के लिए उपयुक्त नीतिगत दिशानिर्देश जारी करके आतिथ्य परियोजनाओं को "औद्योगिक दर्जा" प्रदान करने के संबंध में सभी राज्यों को विशेष रूप से सलाह दी । इससे भारत में पर्यटन को मजबूती और बढ़ावा मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप राज्यों को सामाजिक, आर्थिक और रोजगार संबंधी लाभ प्राप्त होंगे ।

(घ) : देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

i. पर्यटकों की सहायता के लिए 24X7 टॉल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन ।
ii. अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता कार्यक्रम, जो सुप्रशिक्षित तथा प्रमाणित पर्यटक सुविधाप्रदाताओं का एक समूह तैयार करने के उद्देश्य से आधारभूत, उच्च, मौखिक विदेशी भाषा तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए शुरू की गई अखिल भारतीय टिजिटल पहल है ।
iii. बेहतर सेवा मानक प्रदान करने के लिए श्रमशक्ति के प्रशिक्षण तथा उन्नयन हेतु सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण योजना (सीबीएसपी) के तहत कार्यक्रमों का आयोजन ।
iv. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं ।
v. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके ।
vi. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए "साथी" (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है ।

vii. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है ।

viii. होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणीकरण की वैधता, जिनका परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है ।

ix. विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके ।

x. 5 लाख तक मुफ्त पर्यटक वीजा: घोषणा के अनुसार, वीजा जारी होने के बाद, पहले पांच लाख पर्यटक वीजा मुफ्त में जारी किए जाएंगे । पहले पांच लाख पर्यटक वीजा (नि:शुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मिलेगा । यह योजना 31 मार्च 2022 तक या 5,00,000 वीजा जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगी ।

xi. कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस) के तहत वित्तीय सहायता । इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारकों (टीटीएस) को कवर किया जाएगा। टीटीएस प्रत्येक को 10 लाख रुपये तक का ऋण पाने के लिए पात्र होंगे। जबकि प्रत्येक पर्यटक गाइड एक लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं । कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं होगा, फोरक्लोज़र/पूर्व भुगतान शुल्क में छूट और अतिरिक्त संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं होगी । पर्यटन मंत्रालय द्वारा एनसीजीटीसी के माध्यम से योजना संचालित की जाएगी ।

xii. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार बड़े पैमाने पर घरेलू पर्यटन द्वारा किया जाएगा, मंत्रालय ने "देखो अपना देश" के समग्र विषय के तहत वेबिनारों की एक श्रृंखला की व्यवस्था शुरू की । इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और साथ ही हितधारकों, छात्रों और आम जनता के बीच रुचि बनाए रखना है ।

*****